

EW 2147
(कोर्ट के पास)
218

श्री प्रकाश कुबेर
अधिवक्ता, केशव
द्वारा प्रस्तुत
रिट Coll

5/1/2018
अधीक्षक
कलेक्टर, होशंगाबाद

न्यायालय श्रीमान अधिवक्ता राजस्व मंडल ग्यालियरों के सम्मोचन म 090

निगरानी-3113/2018/बैतूल/श.र

रा 01 नं० :- /2018

चतुरसिंग पिता मिसलसिंग राजपूत
निकासी ग्राम उमरिया तहसील-
आगला जिला बैतूल म 090

निगरानीकर्ता

बहाम

1-सुशीला पिता मिसलसिंग राजपूत

2-नंदनी पिता मिसलसिंग राजपूत

दोनों निकासी ग्राम उमरिया तहसील-
आगला जिला बैतूल म 090

3-विद्या कती पिता मिसलसिंग राजपूत

निकासी ग्राम हिंकरा पोस्ट जाठामपुर
तहसील पांढुणा जिला विन्डवाडा म 090

4-गजेन्द्र सिंह पिता मिसलसिंग राजपूत

निकासी ग्राम उमरिया तहसील आगला
जिला बैतूल म 090

उत्तर वादी गण

निगरानी अंतर्गत धारा 51 म 090 नोटा 1956

निगरानीकर्ता की ओर से विनय है :-

निगरानीकर्ता यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय नायब
तहसीलदार वृत्त कोरदेही तहसील आगला जिला बैतूल म 090 द्वारा
राजस्व प्रकरण क्रमांक 96/आर सी एम एच/70/अ-27/2016-17 मौजा
उमरिया पक्षकार सुशीला विक्रम चतुरसिंग कौरह में पारित आदेश दिनांक
07/03/2018 से परिचेदित होकर श्रीमान न्यायालय के समक्ष लादकर
प्रस्तुत करता है। जिसमें प्रकरण के तथ्य निम्नानुसार है :-


चतुरसिंग

अधीक्षक

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3113/2018/बैतूल/भूरा

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-02-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो ।</p>	<p> अध्यक्ष</p>